भारत सरकार/**Government of India**
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय/**Ministry of Agriculture and Farmers Welfare**
उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान
Northern Region Farm Machinery Training and Testing Institute
ट्रैक्टर नगर, सिरसा रोड, हिसार (हरियाणा)-125 001
Tractor Nagar, Sirsa Road, Hisar (Haryana) - 125 001
Website: http://nrfmtti.gov.in/ **E-mail: fmti-nr@nic.in** **GSITIN: 06AAAGN0273P1Z3** **Tele.: 01662-276984**
[ISO 9001:2015 CERTIFIED]

फ़ाइल संख्या/File No. 7-1/2018 F&H   दिनांक/Dated: 12.04.2023

16 मई 2023 से 15 मई 2024 की अवधि के लिए बाजरा, कपास, गेहूँ, सरसों तथा जौ फसल उत्पादन हेतु 150 एकड़ फार्म “जहा है व जैसे है” के आधार पर प्रति एकड़ की दर पर नीलामी सूचना

इस संस्थान के फार्म पर प्रस्तावित 150 एकड फार्म पर प्रारम्भिक तौर पर 16 मई 2023 से 15 मई 2024 की अवधि के लिए बाजरा, कपास, गेहूँ, सरसों तथा जौ फसल उत्पादन हेतु “जहा है व जैसे है” के आधार पर प्रति एकड़ की दर पर नीलामी के लिये मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं | कार्यक्रम की सफलता पर इस अवधि को एक-एक वर्ष बढ़ाकर अधिकतम तीन वर्षो के लिए निविदा सूचना मे निहित शर्तो के अनुरूप बढ़ाया जा सकता है | किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा मंत्रालय आदेश के अनुपालन में समय से पूर्व भी निविदा समाप्त करने का अधिकार संस्थान के निदेशक महोदय के पास सुरक्षित होगा। निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि 24.04.2023 समय 4.00 बजे अपरान्ह तक तथा उसी दिन 4.30 बजे अपरान्ह निविदाये खोली जाएगी । विस्तृत जानकारी एवं निविदा फार्म संस्थान की वेबसाईट www.nrfmtti.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है |

(कृते निदेशक)

भारत सरकार/Government of India
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय/Ministry of Agriculture and Farmers Welfare
उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान
Northern Region Farm Machinery Training and Testing Institute
ट्रैक्टर नगर, सिरसा रोड, हिसार (हरियाणा)-125 001
Tractor Nagar, Sirsa Road, Hisar (Haryana) - 125 001
Website: http://nrfmtti.gov.in/ E-mail: fmti-nr@nic.in GSITIN: 06AAAGN0273P1Z3 Tele.: 01662-276984
[ISO 9001:2015 CERTIFIED]

फ़ाइल संख्या/File No. 7-1/2018 F&H दिनांक/Dated: 12.04.2023

16 मई 2023 से 15 मई 2024 की अवधि के लिए ग्वार, बाजरा, कपास, गेहूँ, सरसों, जौ इत्यादि फसल उत्पादन हेतु इस संस्थान के 150 एकड़ फार्म "जहा है व जैसे है" के आधार पर प्रति एकड़ की दर पर नीलामी की नियम एवं शर्तें इस प्रकार है: -

इस संस्थान के फार्म पर प्रस्तावित 150 एकड फार्म पर प्रारम्भिक तौर पर 16 मई 2023 से 15 मई 2024 की अवधि के लिए ग्वार, बाजरा, कपास, गेहूँ, सरसों, जौ इत्यादि फसल उत्पादन हेतु "जहा है व जैसे है" के आधार पर प्रति एकड़ की दर पर नीलामी के लिये मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। कार्यक्रम की सफलता पर इस अवधि को एक-एक वर्ष बढ़ाकर अधिकतम तीन वर्षों के लिए निविदा सूचना मे निहित शर्तों के अनुरूप बढ़ाया जा सकता है | किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा मंत्रालय आदेश के अनुपालन में समय से पूर्व भी निविदा समाप्त करने का अधिकार संस्थान के निदेशक महोदय के पास सुरक्षित होगा। निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि 24.04.2023 समय 4.00 बजे अपरान्ह तक तथा उसी दिन 4.30 बजे अपरान्ह निविदाये खोली जाएगी। जिनका फार्मवाईज क्षेत्र (बिना जोत वाली सहित) का उच्चतमबोली मूल्य व जमा करवाई जाने वाली धरोहर राशि का विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्रमांक	फार्म का नाम	स्थान	फार्म का एरिया	प्रस्तावित फसल योजना	वर्ष 2022-23 की धरोहर राशि
1.	37 एकड़ एरिया	संस्थान के कैंपस से लगा एरिया	30 एकड़	ग्वार, बाजरा, कपास, गेहूँ, सरसों, जौ इत्यादि फसल	3,00,000/- रुपया (बैंक ग्यारंटी के रूप में)
2.	मुख्य फार्म	बगला रोड के साथ लगा एरिया	100 एकड़		
			20 एकड़ (लवण प्रभावित क्षेत्र)		
		कुल	150 एकड़		

निविदा की नियम एवं शर्ते :-	
1.	निविदा फार्म 500 /(रूपये पांच सौ केवल) भारत कोष (NTRP) पोर्टल पर भुगतान कर कार्यालय से नियम और शर्तों के साथ प्राप्त किया जा सकता है ,अथवा संस्थान की वेबसाइट www.nrfmtti.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है । निविदा फार्म की बिक्री दिनांकः 13.04.2023 से शुरू होगी और निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि 24.04.2023 समय 4.00 बजे अपरान्ह तक दिया जाएगा।
2.	निविदा फार्म संस्थान की वेबसाइट www.nrfmtti.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है । इस मामले में निविदा फार्म के लिए शुल्क के रूप में रु.500 / - का डिमांड ड्राफ्ट फार्म के साथ संलग्न करना होगा । जो निदेशक , उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान (Director, NRFMTTI) के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक, हिसार , हरियाणा, में देय हो ।
3.	निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि 24.04.2023 समय 4.00 बजे अपरान्ह तक तथा उसी दिन 4.30 बजे अपरान्ह निविदाये खोली जाएगी I
4.	निविदाकर्ता को नीलामी में भाग लेने के लिए रु. 50,000 /- (पचास हजार रुपए केवल) ई .एम. डी. (EMD) के रूप में जमा करना होगा, जो डी.डी. (DD) के रूप में, निदेशक, उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक हिसार, हरियाणा में देय होगा । यदि निविदा फार्म संस्थान की वेबसाइट से डाउनलोड किया जाता है तब ई. एम.डी. का डिमांड ड्राफ्ट और निविदा फार्म का डिमांड ड्राफ्ट अलग-अलग होना चाहिए ।
5.	दोनों फार्मों की भूमि प्रारम्भिक तौर पर 16 मई 2023 से 15 मई 2024 तक एक वर्ष की अवधि के लिए ग्वार, बाजरा, कपास, गेहूँ, सरसों, जौ इत्यादि फसल उत्पादन हेतु के लिये उच्चतमबोलीदाता को उपलब्ध कराई जायेंगी | **कार्यक्रम की सफलता पर इस अवधि को एक-एक वर्ष बढ़ाकर अधिकतम तीन वर्षों के लिए उच्चतमबोली मे 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ बढ़ाया जा सकता है | तीसरे वर्ष के लिए दूसरे वर्ष के अनुबंध राशि मे 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि होगी ।**
6.	सफल बोलीदाता द्वारा **प्रथम वर्ष** के लिए उच्चतमबोली राशि का **25 प्रतिशत राशि एक सप्ताह के अंदर-अंदर तथा शेष राशि को तीन किस्तों मे जमा कर सकते है | शेष 75 % प्रतिशत राशि की प्रथम किस्त के रूप मे 25 प्रतिशत राशि दिनांकः 30.09.2023 तक , द्वितीय किस्त के रूप मे 25 प्रतिशत राशि दिनांकः 31.12.2023 तक तथा तृतीय / अंतिम किस्त के रूप मे 25 प्रतिशत राशि दिनांकः 30.03.2024 तक जमा करना होगा |**
7.	यदि किसी कारणवश बिजाई का क्षेत्रफल कम या अधिक होता है ,तब वास्तविक क्षेत्रफल की पैमाइश कर वास्तविक राशि का भुगतान समय पर करना होगा |
8.	सफल बोलीदाता फसल उत्पादक किसान को धरोहर राशि 3,00,000/- रुपया बैंक ग्यारंटी के रूप में 16 मई 2023 से 15 मई 2024 की अवधि के लिए जमा करनी होगी, जो कार्य समाप्त होने पर तथा फार्म पर लगे पेड़ व अन्य सामान के सुरक्षित वापिस लौटाने पर वापिस कर दी जाएगी, इस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा | आगामी वर्षों मे निविदा मे प्रकाशित निहित शर्तों पर अनुबंध एक-एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाए जाने की स्थिति मे इस बैंक ग्यारंटी का नवीनीकरण करना होगा |
9.	संस्थान के माध्यम से अनुबंध के अनुसार फसल उत्पादन अपनाना होगा,फसल उत्पादन के अलावा अन्य प्रयोजन हेतु इस भूमि का प्रयोग नहीं किया जा सकता | संस्थान के फार्म पर फसल उत्पादक को खरीफ तथा रबी सीजन 2023-24 के लिए लगभग 150 एकड़ उपलब्ध है | **जिसकी बिजाई से पूर्व प्रक्षेत्र की तैयारी से लेकर फसल बढ़वार से परिपक्व अवस्था तक प्रयुक्त बीज , खाद जैसे डीएपी व यूरिया ,अन्य सुक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक,सल्फर इत्यादि, खरपतवार नाशक,कीट नाशक व रोगों को नियंत्रित करने हेतु फफूंद नाशक व अन्य पौध संरक्षक दवाई व कृषि यंत्रो इत्यादि का प्रबंध व कीमत/ लागत खुद वहन करनी होगी |**
10.	फार्म पर टयूबेलों के मोटर तथा पंप इत्यादि की मरम्मत का खर्चा फसल उत्पादक किसान / ठेकेदार को स्वयं वहन करना होगा |

11.	सामान्यतः नहर 17 दिन बंद रहती है तथा 1 सप्ताह चलती है, किंतु नहर में पानी की कमी होने पर यह अंतराल बढ़ भी सकता है अथवा बरसात हो जाने पर अतिरिक्त पानी निकासी हेतु समय से पूर्व भी नहर का पानी उपलब्ध हो सकता है | नहर कब आएगी, इस बात पर नहर विभाग का पूर्णतया नियंत्रण होता है ना कि संस्थान का | अत: नहरी पानी की उपलब्धता की जिम्मेदारी इस संस्थान की नहीं होगी |
12.	**फार्म के बिजली बिलों तथा नहरी सिचाई के बिल का भुगतान फसल उत्पादक किसान / ठेकेदार को स्वयं वहन करना होगा | जिसका समय पर भुगतान कर भुगतान की पावती इस संस्थान के खजांची के पास जमा करना होगा |**
13.	फार्म पर लगे ट्रांसफार्मर का 30 KW लोड स्वीकृत है, इस लोड से अधिक बिजली खपत की अनुमति नहीं है | यदि किसी कारण से यह लोड बढ़ता है , उस पर लगने वाले जुर्माने की भरपाई ठेकेदार द्वारा संबंधित विभाग को करनी होगी |
14.	फसल उत्पादक किसान / ठेकेदार इस भूमि का प्रयोग केवल 16 मई 2023 से 15 मई 2024 की अवधि के लिए ग्वार, बाजरा, कपास, गेहूँ, सरसों, जौ इत्यादि फसल उत्पादन के लिए ही करेगा, अन्य गतिविधियों के लिए नहीं | फसल उत्पादक किसान / ठेकेदार द्वारा फार्म पर किसी भी तरह का कोई भी अनैतिक,असामाजिक कार्य नहीं किया जायेगा | यदि फसल उत्पादक द्वारा इस समयावधि के दौरान कोई भी ऐसी अनियमितता पायी जाती है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व फसल उत्पादक किसान / ठेकेदार का होगा तथा इस संबंध में होने वाली किसी भी कार्यवाही के लिये फसल उत्पादक किसान / ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा |
15.	यदि किसी फसल का नुकसान बाढ़, प्राकृतिक आपदा अथवा नील गाय द्वारा फसल चरने आदि के कारणों से होगा तो उस नुकसान की भरपाई संस्थान के द्वारा नहीं की जायेगी तथा फसल उत्पादक किसान / ठेकेदार कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों जैसे फसल अवशेष न जलाना आदि की पालना करने के प्रति वचनबद्ध रहेगा और उल्लंघन पाये जाने पर जुर्माना आदि का वहन फसल उत्पादक किसान / ठेकेदार को ही करना होगा |
16.	मंत्रालय आदेश के अनुपालन में समय से पूर्व भी निविदा समाप्त करने का अधिकार संस्थान के निदेशक महोदय के पास सुरक्षित होगा ।
17.	फार्म के मुख्य द्वार पर 24 घंटे एक चौकीदार संस्थान की ओर से तैनात रहेगा | इसका मुख्य कार्य फार्म संपदा की सुरक्षा करना होगा | फसल की नीलगाय इत्यादि से सुरक्षा स्वयं फसल उत्पादक को ही करना होगा | फसल की समग्र सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं फसल उत्पादक की ही होगी |
18.	यह संस्थान फसल उत्पादक किसान / ठेकेदार के अनुरोध पर परीक्षण के दौरान कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध होने पर गेहूं फसल की निशुल्क कटाई संपन्न करने पर विचार कर सकता है, अन्यथा फसल उत्पादक को स्वयं ही फसल कटाई अपने संसाधन से संपन्न करना होगा | यहां पर यह बात भी स्पष्ट की जाती है की कंबाइन हार्वेस्टर का परीक्षण तय मानकों के अनुसार किया जाएगा, इस परीक्षण के दौरान यदि फसल को कोई क्षति पहुंचती है, दाना टूटता है,इन सब के लिए संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा | फसल उत्पादक को अपनी फसल की कटाई परीक्षण की कम्बाइन हार्वेस्टर से सम्पन्न कराने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता |
19.	फसल उत्पादक किसान / ठेकेदार को संस्थान द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों के मुताबिक कार्य करना होगा तथा उत्पादन की गई फसल(दाना तथा भूसा) कृषि सहायक/ अधिकृत कर्मचारी के सुपर विज़न में संस्थान के फार्म से बाहर ले जाने की अनुमति होगी |
20.	फसल उत्पादक किसान / ठेकेदार को उत्पादन की गई फसल (दाना तथा भूसा) के अलावा अन्य कोई भी सामग्री जैसे सफेदा, शीशम ,कीकर व अन्य वृक्षों से प्राप्त लकड़ी अथवा अन्य शासकीय संपत्ति यथा सिचाई हेतु उपलब्ध पंप इत्यादि को ले जाने की अनुमति नहीं होगी |
21.	फार्म पर लगे किसी भी पेड़ को काटने/ छाटने की अनुमति नहीं होगी , बल्कि उनकी रखवाली करनी होगी |
22.	यदि आंधी – तूफान के दौरान फार्म पर कोई भी पेड़ गिर जाता है तब इसकी सूचना तुरंत ही संबंधित अधिकारी व कर्मचारी को देनी होगी |
23.	फार्म पर बने सरकारी भवनों की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी फसल उत्पादक किसान / ठेकेदार की होगी

	और उनकी देखभाल करना तथा ठेके की अवधि समाप्त होने पर संस्थान को लौटाना होगा तथा भवनों में किसी भी प्रकार की बदली अपने स्तर पर नहीं की जाएगी और कोई भी स्थाई ढांचा फार्म पर नहीं बनाया जायेगा |
24.	इस संस्थान के फार्म पर प्रस्तावित 150 एकड फार्म पर प्रारम्भिक तौर पर 16 मई 2023 से 15 मई 2024 की अवधि के लिए ग्वार, बाजरा, कपास, गेहूँ, सरसों, जौ इत्यादि फसल उत्पादन हेतु "जहा है व जैसे है" के आधार पर प्राप्त अधिकतम बोलीदाता के लिए एक वर्ष के लिये ही मान्य होगा |
25.	निविदादाता के विरुद्ध किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं होने की स्थति मे अनुबंध विस्तार पर विचार किया जा सकता है |
26.	फसल उत्पादक किसान / ठेकेदार इस विभाग व कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी की निरीक्षण में कोई बाधा नहीं डालेगा |
27.	यदि फसल उत्पादक किसान / ठेकेदार संस्थान द्वारा लगाई गई नियम एवं शर्तों का उल्लंघन करता है और उसके कारण यदि फार्म को किसी भी प्रकार की हानि होती है तो उसकी जिम्मेदारी फसल उत्पादक किसान / ठेकेदार की होगी तथा नुकसान की भरपाई फसल उत्पादक किसान / ठेकेदार से की जायेंगी |
28.	फसल उत्पादक किसान / ठेकेदार द्वारा फार्म पर फसल उत्पादन का कार्य स्वयं करना होगा | ठेका आगे अन्य ठेकेदार को देने का अधिकार नहीं होंगा |
29.	किसी भी प्रकार के विवाद की स्थति मे निदेशक, उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण व परीक्षण संस्थान का फैसला मान्य होगा |
30.	इच्छुक ठेकेदार कार्य स्थल का निरिक्षण किसी भी कार्य दिवसों पर कर सकते हैं (सोमवार - शुक्रवार) 10.00AM - 5.00 PM के बीच।
31.	वर्ष 2023 -24 (16 मई 2023 से 15 मई 2024) की कार्य अवधि के लिए लगभग 150 एकड़ फार्म पर प्रारम्भिक तौर पर 16 मई 2023 से 15 मई 2024 की अवधि के लिए ग्वार, बाजरा, कपास, गेहूँ, सरसों, जौ इत्यादि फसल उत्पादन हेतु "जहा है व जैसे है" के आधार पर प्रति एकड़ की प्रस्तुत दर , जो फार्म उपज निपटान समीति द्वारा तय आरक्षित मूल्य की तुलना में कम पाया जाता है ,तो इस प्रकार प्राप्त उच्चतम बोली को स्वीकार नहीं किया जाएगा। **आरक्षित कीमत फार्म उपज निपटान समीति के पास सील बंद लिफाफे में उपलब्ध होगी।**
32.	निविदा प्राप्ति की निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा |
33.	निर्धारित अवधि में ठेकेदार को फार्म उपज तथा भूसा अथवा कड़बी ले जाना सुनिश्चित करना होंगा ,किसी भी दशा में ठेका आगे नहीं बढ़ाया जायेंगा तथा ठेका समाप्ति अर्थात 15 मई 2024 के पश्चात् कोई भी फार्म उत्पाद अनाज , फार्म से उठाने की अनुमति नहीं होगी |।
34.	ठेकेदार को यह भी सुनिश्चित करना होंगा कि बाल श्रम (निषेध व नियमन) कानून 1986 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बाल श्रमिको का कृषि कार्य में उपयोग नहीं किया जायेंगा |
35.	संस्थान के फार्म पर कार्य कर रहे सभी मजदुर व ओपरेटर के आधार की एक प्रति इस संस्थान को भी उपलब्ध कराना होगा, जो इस संस्थान की सुरक्षा की दृष्टी से महत्वपूर्ण होगा |
36.	फार्म पर कार्य के दौरान घटित किसी भी अप्रत्यशित घटना के लिए फसल उत्पादक किसान/ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा |
37.	निविदादाता को आधार कार्ड,पैन कार्ड और बैंक खाता पासबुक के रूप में निविदा प्रपत्र के साथ अपने पते का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
38.	संस्थान के निदेशक महोदय बिना कोई कारण बताए किसी भी समय पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी एक या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते है।

कृते निदेशक

BY E-MAIL/SPEED POST

भारत सरकार /**Government of India**
उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान / **Northern Region Farm Machinery Training and Testing Institute**
ट्रैक्टर नगर, सिरसा रोड, हिसार (हरियाणा)/**Tractor Nagar, Sirsa Road, Hisar (Haryana)- 125 001**
Website: http://nrfmtti.gov.in E-mail: fmti-nr@nic.in Tel./Fax: 01662276984 GSTIN:06AAAGN0273PIZ3
[ISO- 9001: 2015 CERTIFIED]

No.07-01/2018 F&H Dated: 12.04.2023

16 मई 2023 से 15 मई 2024 की अवधि के लिए ग्वार, बाजरा, कपास, गेहूँ, सरसों, जौ इत्यादि फसल उत्पादन हेतु इस संस्थान के 150 एकड़ फार्म "जहा है व जैसे है" के आधार पर प्रति एकड़ की दर पर नीलामी हेतु प्रस्तुत दर

1.	Tender no:	
2.	Tenderer's Name and Address	
3.	Telephone Number/Mobile No.	
4.	Last date and time for receipt of tender	**24.04.2023 up to 4.00 pm**
5.	Date, time and venue for opening of tender	**24.04.2023 at 04.30 PM., in the Seminar Hall of NRFMTTI, Hisar - 125001 (Haryana)**
6.	Validity/Last date for harvesting of crop and/or residue	Harvesting of crop must be finished positively by **15.05.2024**. Under no circumstance, the period would be extended. Leftover crop/crop residue after due date would be stand forfeited and the same will be buried/disposed to make the field available for sowing of wheat crop.
7.	Location of farm	Northern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Tractor Nagar, Sirsa Road, Hisar (Haryana)- 125 001
8.	Price quoted for per acre (प्रति एकड़ की दर)	Rs.
9.	Demand Draft Number for EMD	
10.	Demand Draft Number for Tender form	

Signature of the tenderer

Name:

Full Address

Mobile No.:

निविदा की नियम एवं शर्ते :-	
1.	निविदा फार्म 500 /(रूपये पांच सौ केवल) भारत कोष (NTRP) पोर्टल पर भुगतान कर कार्यालय से नियम और शर्तों के साथ प्राप्त किया जा सकता है ,अथवा संस्थान की वेबसाइट www.nrfmtti.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है । निविदा फार्म की बिक्री दिनांकः 13.04.2023 से शुरू होगी और निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि 24.04.2023 समय 4.00 बजे अपरान्ह तक दिया जाएगा।
2.	निविदा फार्म संस्थान की वेबसाइट www.nrfmtti.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है । इस मामले में निविदा फार्म के लिए शुल्क के रूप में रु.500 / - का डिमांड ड्राफ्ट फार्म के साथ संलग्न करना होगा । जो निदेशक , उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान (Director, NRFMTTI) के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक, हिसार , हरियाणा, में देय हो ।
3.	**निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि 24.04.2023 समय 4.00 बजे अपरान्ह तक तथा उसी दिन 4.30 बजे अपरान्ह निविदाये खोली जाएगी ।**
4.	निविदाकर्ता को नीलामी में भाग लेने के लिए रु. 50,000 /- (पचास हजार रुपए केवल) ई .एम. डी. (EMD) के रूप में जमा करना होगा, जो डी.डी. (DD) के रूप में, निदेशक, उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक हिसार, हरियाणा में देय होगा । यदि निविदा फार्म संस्थान की वेबसाइट से डाउनलोड किया जाता है तब ई. एम.डी. का डिमांड ड्राफ्ट और निविदा फार्म का डिमांड ड्राफ्ट अलग-अलग होना चाहिए ।
5.	दोनों फार्मों की भूमि प्रारम्भिक तौर पर 16 मई 2023 से 15 मई 2024 तक एक वर्ष की अवधि के लिए ग्वार, बाजरा, कपास, गेहूँ, सरसों, जौ इत्यादि फसल उत्पादन हेतु के लिये उच्चतमबोलीदाता को उपलब्ध कराई जायेंगी | **कार्यक्रम की सफलता पर इस अवधि को एक-एक वर्ष बढ़ाकर अधिकतम तीन वर्षों के लिए उच्चतमबोली मे 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ बढ़ाया जा सकता है | तीसरे वर्ष के लिए दूसरे वर्ष के अनुबंध राशि मे 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि होगी ।**
6.	सफल बोलीदाता द्वारा **प्रथम वर्ष के लिए उच्चतमबोली** राशि का **25 प्रतिशत राशि एक सप्ताह के अंदर-अंदर** तथा शेष राशि को तीन किस्तों मे जमा कर सकते है | **शेष 75 % प्रतिशत राशि की प्रथम किस्त के रूप मे 25 प्रतिशत राशि** दिनांकः 30.09.2023 तक , **द्वितीय किस्त के रूप मे 25 प्रतिशत राशि** दिनांकः 31.12.2023 तक तथा **तृतीय / अंतिम किस्त के रूप मे 25 प्रतिशत राशि** दिनांकः 30.03.2024 तक **जमा करना होगा** |
7.	यदि किसी कारणवश बिजाई का क्षेत्रफल कम या अधिक होता है ,तब वास्तविक क्षेत्रफल की पैमाइश कर वास्तविक राशि का भुगतान समय पर करना होगा |
8.	सफल बोलीदाता फसल उत्पादक किसान को धरोहर राशि 3,00,000/- रुपया बैंक ग्यारंटी के रूप में 16 मई 2023 से 15 मई 2024 की अवधि के लिए जमा करनी होगी, जो कार्य समाप्त होने पर तथा फार्म पर लगे पेड़ व अन्य सामान के सुरक्षित वापिस लौटाने पर वापिस कर दी जाएगी, इस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा | आगामी वर्षों मे निविदा मे प्रकाशित निहित शर्तों पर अनुबंध एक-एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाए जाने की स्थिति मे इस बैंक ग्यारंटी का नवीनीकरण करना होगा |

9.	संस्थान के माध्यम से अनुबंध के अनुसार फसल उत्पादन अपनाना होगा,फसल उत्पादन के अलावा अन्य प्रयोजन हेतु इस भूमि का प्रयोग नहीं किया जा सकता | संस्थान के फार्म पर फसल उत्पादक को खरीफ तथा रबी सीजन 2023-24 के लिए लगभग 150 एकड़ उपलब्ध है | **जिसकी बिजाई से पूर्व प्रक्षेत्र की तैयारी से लेकर फसल बढ़वार से परिपक्व अवस्था तक प्रयुक्त बीज , खाद जैसे डीएपी व यूरिया ,अन्य सुक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक,सल्फर इत्यादि, खरपतवार नाशक,कीट नाशक व रोगों को नियंत्रित करने हेतु फफूंद नाशक व अन्य पौध संरक्षक दवाई व कृषि यंत्रो इत्यादि का प्रबंध व कीमत/ लागत खुद वहन करनी होगी |**
10.	फार्म पर ट्यूबेलों के मोटर तथा पंप इत्यादि की मरम्मत का खर्चा फसल उत्पादक किसान / ठेकेदार को स्वयं वहन करना होगा |
11.	सामान्यतः नहर 17 दिन बंद रहती है तथा 1 सप्ताह चलती है, किंतु नहर में पानी की कमी होने पर यह अंतराल बढ़ भी सकता है अथवा बरसात हो जाने पर अतिरिक्त पानी निकासी हेतु समय से पूर्व भी नहर का पानी उपलब्ध हो सकता है | नहर कब आएगी, इस बात पर नहर विभाग का पूर्णतया नियंत्रण होता है ना कि संस्थान का | अत: नहरी पानी की उपलब्धता की जिम्मेदारी इस संस्थान की नहीं होगी |
12.	**फार्म के बिजली बिलों तथा नहरी सिचाई के बिल का भुगतान फसल उत्पादक किसान / ठेकेदार को स्वयं वहन करना होगा | जिसका समय पर भुगतान कर भुगतान की पावती इस संस्थान के खजांची के पास जमा करना होगा |**
13.	फार्म पर लगे ट्रांसफार्मर का 30 KW लोड स्वीकृत है, इस लोड से अधिक बिजली खपत की अनुमति नहीं है | यदि किसी कारण से यह लोड बढ़ता है , उस पर लगने वाले जुर्माने की भरपाई ठेकेदार द्वारा संबंधित विभाग को करनी होगी |
14.	फसल उत्पादक किसान / ठेकेदार इस भूमि का प्रयोग केवल 16 मई 2023 से 15 मई 2024 की अवधि के लिए ग्वार, बाजरा, कपास, गेहूँ, सरसों, जौ इत्यादि फसल उत्पादन के लिए ही करेगा, अन्य गतिविधियों के लिए नहीं | फसल उत्पादक किसान / ठेकेदार द्वारा फार्म पर किसी भी तरह का कोई भी अनैतिक,असामाजिक कार्य नहीं किया जायेगा | यदि फसल उत्पादक द्वारा इस समयावधि के दौरान कोई भी ऐसी अनियमितता पायी जाती है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व फसल उत्पादक किसान / ठेकेदार का होगा तथा इस संबंध में होने वाली किसी भी कार्यवाही के लिये फसल उत्पादक किसान / ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा |
15.	यदि किसी फसल का नुकसान बाढ़, प्राकृतिक आपदा अथवा नील गाय द्वारा फसल चरने आदि के कारणों से होगा तो उस नुकसान की भरपाई संस्थान के द्वारा नहीं की जायेगी तथा फसल उत्पादक किसान / ठेकेदार कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों जैसे फसल अवशेष न जलाना आदि की पालना करने के प्रति वचनबद्ध रहेगा और उल्लंघन पाये जाने पर जुर्माना आदि का वहन फसल उत्पादक किसान / ठेकेदार को ही करना होगा |
16.	मंत्रालय आदेश के अनुपालन में समय से पूर्व भी निविदा समाप्त करने का अधिकार संस्थान के निदेशक महोदय के पास सुरक्षित होगा।
17.	फार्म के मुख्य द्वार पर 24 घंटे एक चौकीदार संस्थान की ओर से तैनात रहेगा | इसका मुख्य कार्य फार्म संपदा की सुरक्षा करना होगा | फसल की नीलगाय इत्यादि से सुरक्षा स्वयं फसल उत्पादक को ही करना होगा | फसल की समग्र सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं फसल उत्पादक की ही होगी |

18.	यह संस्थान फसल उत्पादक किसान / ठेकेदार के अनुरोध पर परीक्षण के दौरान कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध होने पर गेहूं फसल की निशुल्क कटाई संपन्न करने पर विचार कर सकता है, अन्यथा फसल उत्पादक को स्वयं ही फसल कटाई अपने संसाधन से संपन्न करना होगा | यहां पर यह बात भी स्पष्ट की जाती है की कंबाइन हार्वेस्टर का परीक्षण तय मानकों के अनुसार किया जाएगा, इस परीक्षण के दौरान यदि फसल को कोई क्षति पहुंचती है, दाना टूटता है,इन सब के लिए संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा | फसल उत्पादक को अपनी फसल की कटाई परीक्षण की कम्बाइन हार्वेस्टर से सम्पन्न कराने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता |
19.	फसल उत्पादक किसान / ठेकेदार को संस्थान द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों के मुताबिक कार्य करना होगा तथा उत्पादन की गई फसल(दाना तथा भूसा) कृषि सहायक/ अधिकृत कर्मचारी के सुपर विज़न में संस्थान के फार्म से बाहर ले जाने की अनुमति होगी |
20.	फसल उत्पादक किसान / ठेकेदार को उत्पादन की गई फसल (दाना तथा भूसा) के अलावा अन्य कोई भी सामग्री जैसे सफेदा, शीशम ,कीकर व अन्य वृक्षों से प्राप्त लकड़ी अथवा अन्य शासकीय संपत्ति यथा सिचाई हेतु उपलब्ध पंप इत्यादि को ले जाने की अनुमति नहीं होगी |
21.	फार्म पर लगे किसी भी पेड़ को काटने/ छाटने की अनुमति नहीं होगी , बल्कि उनकी रखवाली करनी होगी |
22.	यदि आंधी – तूफान के दौरान फार्म पर कोई भी पेड़ गिर जाता है तब इसकी सूचना तुरंत ही संबंधित अधिकारी व कर्मचारी को देनी होगी |
23.	फार्म पर बने सरकारी भवनों की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी फसल उत्पादक किसान / ठेकेदार की होगी और उनकी देखभाल करना तथा ठेके की अवधि समाप्त होने पर संस्थान को लौटाना होगा तथा भवनों में किसी भी प्रकार की बदली अपने स्तर पर नहीं की जाएगी और कोई भी स्थाई ढांचा फार्म पर नहीं बनाया जायेगा |
24.	इस संस्थान के फार्म पर प्रस्तावित 150 एकड फार्म पर प्रारम्भिक तौर पर 16 मई 2023 से 15 मई 2024 की अवधि के लिए ग्वार, बाजरा, कपास, गेहूँ, सरसों, जौ इत्यादि फसल उत्पादन हेतु “जहा है व जैसे है” के आधार पर प्राप्त अधिकतम बोलीदाता के लिए एक वर्ष के लिये ही मान्य होगा |
25.	निविदादाता के विरुद्ध किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं होने की स्थति मे अनुबंध विस्तार पर विचार किया जा सकता है |
26.	फसल उत्पादक किसान / ठेकेदार इस विभाग व कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी की निरीक्षण में कोई बाधा नहीं डालेगा |
27.	यदि फसल उत्पादक किसान / ठेकेदार संस्थान द्वारा लगाई गई नियम एवं शर्तों का उल्लंघन करता है और उसके कारण यदि फार्म को किसी भी प्रकार की हानि होती है तो उसकी जिम्मेदारी फसल उत्पादक किसान / ठेकेदार की होगी तथा नुकसान की भरपाई फसल उत्पादक किसान / ठेकेदार से की जायेंगी |
28.	फसल उत्पादक किसान / ठेकेदार द्वारा फार्म पर फसल उत्पादन का कार्य स्वयं करना होगा | ठेका आगे अन्य ठेकेदार को देने का अधिकार नहीं होंगा |
29.	किसी भी प्रकार के विवाद की स्थति मे निदेशक, उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण व परीक्षण संस्थान का फैसला मान्य होगा |
30.	इच्छुक ठेकेदार कार्य स्थल का निरिक्षण किसी भी कार्य दिवसों पर कर सकते हैं (सोमवार - शुक्रवार) 10.00AM - 5.00 PM के बीच।

31.	वर्ष 2023 -24 (16 मई 2023 से 15 मई 2024) की कार्य अवधि के लिए लगभग 150 एकड़ फार्म पर प्रारम्भिक तौर पर 16 मई 2023 से 15 मई 2024 की अवधि के लिए ग्वार, बाजरा, कपास, गेहूँ, सरसों, जौ इत्यादि फसल उत्पादन हेतु "जहा है व जैसे है" के आधार पर प्रति एकड़ की प्रस्तुत दर , जो फार्म उपज निपटान समीति द्वारा तय आरक्षित मूल्य की तुलना में कम पाया जाता है ,तो इस प्रकार प्राप्त उच्चतम बोली को स्वीकार नहीं किया जाएगा । **आरक्षित कीमत फार्म उपज निपटान समीति के पास सील बंद लिफाफे में उपलब्ध होगी** ।
32.	निविदा प्राप्ति की निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा |
33.	निर्धारित अवधि में ठेकेदार को फार्म उपज तथा भूसा अथवा कड़बी ले जाना सुनिश्चित करना होंगा ,किसी भी दशा में ठेका आगे नहीं बढ़ाया जायेंगा तथा ठेका समाप्ति अर्थात 15 मई 2024 के पश्चात् कोई भी फार्म उत्पाद अनाज , फार्म से उठाने की अनुमति नहीं होगी |।
34.	ठेकेदार को यह भी सुनिश्चित करना होंगा कि बाल श्रम (निषेध व नियमन) कानून 1986 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बाल श्रमिको का कृषि कार्य में उपयोग नहीं किया जायेंगा |
35.	संस्थान के फार्म पर कार्य कर रहे सभी मजदुर व ओपरेटर के आधार की एक प्रति इस संस्थान को भी उपलब्ध कराना होगा, जो इस संस्थान की सुरक्षा की दृष्टी से महत्वपूर्ण होगा |
36.	फार्म पर कार्य के दौरान घटित किसी भी अप्रत्यशित घटना के लिए फसल उत्पादक किसान/ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा |
37.	निविदादाता को आधार कार्ड,पैन कार्ड और बैंक खाता पासबुक के रूप में निविदा प्रपत्र के साथ अपने पते का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा ।
38.	संस्थान के निदेशक महोदय बिना कोई कारण बताए किसी भी समय पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी एक या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते है ।

मैंने उपरोक्त सभी को समझ लिया है और मैं उपरोक्त सभी नियमों और शर्तों का पालन करना स्वीकार करता/करती हूं।

निविदादाता के हस्ताक्षर	:	
नाम	:	
पता	:	
मोबाईल नंबर	:	